का तामील

24/8/19	पत्रावली आज पेश हुई। तहसीलदार पचपदरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया। कि ग्राम खारापनाड़ा के मूल ख०न० 374 का कुल रकबा 11-18 बीघा था। इसमें से 1.09 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित भूमि है। समर्पित भूमि रास्ते के रूप में उपयोग हो रही है उन रास्ता खसरे के बीच में से गुजरता है। जिसके कारण शेष रकबा दो भागों में क्रमशः 8.15 बीघा व 1.14 बीघा बचता है। वर्तमान में ग्राम खसरा न. 374 के कुल दो खसरे 374 रकबा 10.09 व 7981/374 रकबा 1.09 बीघा कब्जा है। इस प्रकार वर्तमान में ख०न० 374 रकबा 10.09 बीघा एक चक में न होकर दो टुकड़ो क्रमशः 8.15 बीघा व 1.14 बीघा के रूप में है इसलिए संलग्न परिशिष्ट (31) अनुसार ख.न. 374 रकबा 10.09 के दो बटा न रकबा क्रमशः 8.15 व 1.14 बीघा करने का आदेश देने का निवेदन किया। विपार्थीगणों को नोटिस दिया गया।

विद्यार्थीगण अनुपस्थित।

पीठ द्वारा प्रार्थी के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। ग्राम ख्वाबनाड़ा के मूल ख० न० 374 के वर्तमान में मौके पर तीन टुकड़े है। किन्तु जमाबंदी में केवल दो खसरा न० ही दर्ज है। मौका अनुसार रेकर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ख्वाबनाड़ा के वर्तमान ख० न० 374 रकबा 10.09 के दो बट्टा न रकबा क्रमशः 8.15 व 1.14 दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिया जाता है। की इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

पत्रावली फैसला शुमार होकर शामिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner